फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

सांवरमल बनाम किशना

संख्या : 224/11

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/4/25	आज दि. 28/4/25 ... 8/5/25	
8/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.क. उपस्थित। प्रा.प.-15। सीपीसी अन्य पत्रावली का सहपत्र से संलग्न होने के कारण मूल पत्रावली में लगाया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि व उन्होंने सहमती का जवाब पेश किया है अत: जिरह नहीं करना चाहते तथा साक्ष्य भी पेश करना नहीं चाहते है। अत: साक्ष्य वादी व साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
15/5/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/5/25 को पेश हो।	
22/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.प.उप.। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 23/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	डिक्री आदेश दिनांक 22/5/25 प्राप्त 2/8
23/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प.उप.। वाद वादी डिक्री किया जाता है तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि वे मृतक झूथा ... के हिस्से को डूंगा के ... जांच करते हुए झूथा पुत्र डूंगा ... के बराबर-बराबर हिस्सा जमाबंदी में दर्ज करें। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025-07-31 11:44:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –224/2011 वाद प्रस्तुति दिनांक –12.12.2011

1. सांवर मल पुत्र छोटू (फौत)
1/1 राजू देवी पत्नी सांवरमल
1/2 कमलेश पुत्र सांवरमल
1/3 महेन्द्र पुत्र सांवरमल
1/4 सुनिल पुत्र सांवरमल
2. शंकर पुत्र छोटू
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण
.............वादीगण / प्रार्थीगण

बनाम

1. किशना पुत्र डूंगा (फौत)
1/1. भूराराम पुत्र किशना
1/2. हनुमान सहाय पुत्र किशना
1/3. गोपाल पुत्र किशना
1/4 छीगन पुत्र किशना
1/5 बाबू पुत्र किशना
1/6 नन्छू पुत्र किशना
1/7 नानूडी बेवा किशना
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण
1/8 श्रीमती लाडा देवी पुत्री किशना पत्नी विरदा जाति जाट निवासी ग्राम कापडियावास तहसील जिला जयपुर।
1/9 श्रीमती सरजू देवी पुत्री किशना जाति जाट निवासी ग्राम कापडियावास तहसील जिला जयपुर।
1/10 रूकमा देवी पत्नी किशना पत्नी बिरदा जाति जाट निवासी ग्राम चंपापुरा कालियों की ढाणी तहसील व जिला जयपुर।
2. मांगू पुत्र डूगा (फौत)
2/1. शैभाराम पुत्र मांगू
2/2 जयराम पुत्र मांगू
निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
2/3 झमरी पुत्री मांगू पत्नी रिछपाल निवासी …पुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर पुत्र रामेश्वर
2/4. राजू पुत्री मांगू पत्नी हरदेव निवासी किशोरपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
2/5 नन्छी पुत्री मांगू पत्नी लक्ष्मण निवासी किशोरपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
2/6 कोयली पुत्री मांगू पत्नी लक्ष्मण निवासी ध…पुरा तहसील व जिला जयपुर।
2/7 आंची देवी पुत्री मांगू पत्नी रामकरण निवासी ग्राम कापडियावास तहसील व जिला जयपुर।
2/8 भोली देवी पत्नी मांगू निवासी बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. सुवा पुत्र डूंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

4. नारायण पुत्र डूगा
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण
5. उपपंजीयक कार्यालय तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

............प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

दावा उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री बंशीधर जाट – अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री विजय कुमार शर्मा– अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

दिनांक 16.06.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम बुगालिया पवार एरिया राधाकिशनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर मैं स्थित हाल खसरा नंबर. 225, रकबा 0.25 है., खसरा नंबर 250 रकबा 3.95 है., ख. सं. 460 रकबा 1.17 है., ख. सं. 462 रकबा 0.01है. ख. सं. 463 रकबा 1. 85 है, ख. सं. 467 रकबा 0.27 है., ख. सं. 477 रकबा 2.60 है. और ख. सं. 479 रकबा 0.61 है., ख. सं. 483 रकबा क. 62 है., ब. सं. 484 रकबा 0.67 है., कुल किता 10 कुल रकबा 12 है० की खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड में सुवा पुत्र डूंगा हि० 1/3, किशन, झुंथा पि. डूंगा हि. 2/3, दर्ज है। डूंगा का पुत्र झूंथा, अविवाहित फौत हो चुका है, जिसका उक्त आराजीयात में 1/6 हि० था, तथा अविवाहित फोत होने के कारण उक्त आराजीयात में झूंथा के हि. मैं वादीगण का 1/5 हि० व प्रत्येक प्रतिवादीगण्ण का 1/5–1/5 हिस्सा निहित है। उक्त आराजीयात हिन्दू उत्तराधिकार एक्ट के तहत मृतक के सगे भाई, के नाम बातेदारी आ चुकी है, परंतु राजस्व रिकार्ड अमल दरामद नही हुआहै, तथा वादीगण को यह अधिंकार प्राप्त है कि वो उक्त आराजीयात में स्वयं के हिस्से, के बाबत बातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर स्वयं केनाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करावें, इस लिये यहवाद वादीगण द्वारा बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का मान्य न्यायाषय के समक्ष दाखिल करना लाजिम आया है। उक्त आराजीयात पर वादीगण स्वयं का पुक्ता आवास बनाकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है, तथा दूंथा की मृत्यु के उपरांत गांव के मौजिज : प्रतिशिष्ठत व्यक्ति व रिश्तेदारों के समक्ष मृतक की कृषि भूमि बाबत एक लिखावट लिखी गई, जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर है, व गवाहों के भी हस्ताक्षर है, जिस लिखावट को गांव के ही एक व्यक्ति के पास हमारी सभी की सहमति से रखा हुआ है। उक्त आराजीयात पर मृतक के जीवन काल से ही वादीगण अपने हि० तक काबिज होकर काश्त करते आरहे है, त्या वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वो प्रतिवादीगण को स्वयं के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने हेतु पाबंद करवाये इस कारण यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का मान्य न्यायालय के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

पेश करना लाजिम आया है। विवादित आराजीयात पर वादीगण व प्रतिवादीगण का बराबर हक व हिस्सा है, परंतु 21.11.20 को मृतक की विरासत नामान्तकरण तस्दीक करवाने हेतु ग्राम पंचायत में हल्का पटवारी से नामान्तकरण भरने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने फिलहाल नामान्तकरण खुलवाने के लिये मना कर दिया तथा यह कहा कि आप इस भूमि से अपना कब्जा हटाओं, तथा मकान भी खाली करो, आपका कोई लेना देना नही है। इस प्रकार दि. 21.11.20 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है, जो आज भी निरंतर जारी होने से यह वाद मान्य न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजिम आया है। मृतक द्वारा उक्त आराजीयात को अपने जीवनकाल में न तो किसी को गिरवी, दान, पुन्य, इकरारनामा, मुखत्यारनामा वसीयत आदि किया है तथा नही किसी को दतक ग्रहण किया है। प्रतिवादीसं. 6 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया गया है, वादमें इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। इस लिये वाद प्रस्तुत करने से पूर्व विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उक्त उनवानी जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद नंबर 1 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज व अंकित होने से स्वीकार है। वाद अधीन भूमि में हिस्सा 1/3 के खातेदार वादीगण के चाचा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के भाई झूथा पुत्र डूगा भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। वाद पत्र की मद नंबर 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है स्वीकार हैं। झूथा पुत्र दूँगा की मृतयु के पश्चात उसके विधिक वारिसान में उनके पांचो भाई हिस्सा 1/5–1/5 के हक व अधिकारी हैं। वाद पत्र की मद नंबर 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है आंशिक स्वीकार हैं। वादअधीन भूमि में वादी झूथा का 1/6 हिस्सा अंकित किया है जबकि वाद अधीन भूमि में झूंथा का हिस्सा 1/3 निहित था। जिसमें झूथा के पांचो भाई किशना, छोटू मांगू, सुवा, नारायण 1/15–1/15 हिस्से के हक व अधिकारी हैं। वाद पत्र की मद नंबर 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, आंशिक स्वीकार हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार झूथा की विरासत में झूथा के पांचो भाईयों का हिस्सा 1/15–1/15 निहित हैं। ऐसी स्थिति में मिन उत्तरदा[illegible] हिस्सा [illegible] का हक व अधिकारी हैं। उक्त रिकार्ड दुरुस्त किया जाकर मिन उत्तरदाता [illegible] 15 हिस्से का हक व अधिकारी घोषित किया जाना आवश्यक हैं। [illegible] की मद [illegible] 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, जानकारी के अभाव में [illegible] कोई लिखावट लिखी गई हो मिन उत्तरदाता को ध्यान में नहीं हैं। वाद पत्र की मद नंबर 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं, आंशिक स्वीकार हैं। चूँकि वादअधीन भूमि में अभी तक झूथा की विरासत दर्ज नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय झूंथा के समस्त वारिसों में उसकी

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumlan Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:10 IST
Reason: SelfAttested

विरासत का नामांतकरण दर्ज करने एवं उसके हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। वाद पत्र की मद नंवर 7 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। वादी द्वारा दिनांकित घटना 21/11/2011 को किसी प्रकार की कोई कार्यवाही हुई उसके संवंध में मिन उत्तरदाता को कोई जानकारी नही है उसके संवंध में कोई जानकारी होगी तो वो मिन उत्तरदाता के पिता को होगी। परन्तु यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि मिन उत्तरदाता झूथा की विरासत में हिस्सा 1/15 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो. के तहत उत्तराधिकारी हैं। वाद पत्र की मद नंवर 8 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, स्वीकार हैं। उक्त भूमि आज भी राजस्व रिकार्ड में झूथा पुत्र दूँगा के नाम दर्ज व अंकित हैं। झूथा पुत्र दूँगा अविवाहित फौत हुआ था उसके द्वारा किसी को भी दत्तक ग्रहण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में झूंथा की विरासत में वादी 1/15 प्रतिवादी संख्या 1, हिस्सा 1/15 मिन उत्तरदाता, हिस्सा 1/15 प्रतिवादी संख्या 3, हिस्सा 1/15 प्रतिवादी संख्या 4 के हक व अधिकारी है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर झूथा पुत्र दूँगा की विरासत में उनके नाम दर्ज हिस्सा 1/3 में से 1/15 हिस्से का खातेदार मिन उत्तरदाता को एवं शेष हिस्सा 4/15 का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 को घोषित किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान का जवाब दावा वादपत्र की सहमति के अनुसार पेश होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। तथा सहमति का जवाब दावा होने के कारण साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी पेश नहीं की गई तथा दिनांक 08.05.2025 को साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

वादी द्वारा प्रमाणित प्रति जमाबंदी प्रदर्श—1, विक्रय पत्र प्रदर्श—2, जमाबंदी संवत 2071 प्रदर्श— 3 पेश की गई। मौखिक साक्ष्य के रूप में सांवरमल पीडब्लू 1, बाबूलाल पत्रु भैरू पीडब्लू 2, शंकर पुत्र छोटू जाति जाट पीडब्लू 3 परीक्षित करवाये गये।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की मौखिक बहस सुनी गई हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। वादी का कथन रहा कि वाके ग्राम बुगालिया पवार एरिया राधाकिशनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर मैं स्थित हाल खसरा नंबर 225, रकबा 0.25 है., खसरा नंबर 250 रकबा 3.95 है., ख. सं. 460 रकबा 1.17 है., ख. सं. 462 रकबा 0.01है. ख. सं. 463 रकबा 1. 85 है, ख. सं. 467 रकबा 0.27 है., ख. सं. 477 रकबा 2.60 है. और ख. सं. 479 रकबा 0.61 है., ख. सं. 483 रकबा क. 62 है., ब. सं. 484 रकबा 0.67 है., कुल किता 10 कुल रकबा 12 है० की खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड में सुवा पुत्र डूंगा हि० 1/3, किशन, झुंथा पि. डूंगा हि. 2/3, दर्ज है। डूंगा का पुत्र झूंथा, अविवाहित फौत हो चुका है,

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:10 IST
Reason: SelfAttested

जिसका उक्त आराजीयात में 1/6 हि० था, तथा अविवाहित फोत होने के कारण उक्त आराजीयात में झूंथा के हि. मैं वादीगण का 1/5 हि० व प्रत्येक प्रतिवादीगण्ण का 1/5–1/5 हिस्सा निहित है। उक्त आराजीयात हिन्दू उत्तराधिकार एक्ट के तहत मृतक के सगे भाई, के नाम बातेदारी आ चुकी है, परंतु राजस्व रिकार्ड अमल दरामद नही हुआ है, तथा वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उक्त आराजीयात में स्वयं के हिस्से, के बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर स्वयं के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करावें।

वादी द्वारा प्रमाणित प्रति जमाबंदी प्रदर्श–1, विक्रय पत्र प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत 2071 प्रदर्श–3 से साबित है कि उक्त आराजी पैतृक है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाब दावे में भी वादी के तथ्यो का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त गवाह PW1 सांवरमल पुत्र छोटू जाति जाट ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित किया है कि वंशावली में डूंगा का पूत्र झूथा अविवाहित फोत हो चुका है जिसका उक्त आराजीयात में 1/6 हिस्सा था विवाहित फोत होने के कारण उक्त आराजीयात में झुथा के हिस्से में वादीगण का 1/5 हिस्सा व प्रत्येक प्रतिवादीगण का 1/5–1/5 हिस्सा निहित है तथा झुथा की मृत्यु के उपरांत उक्त आराजी को वादीगण पुख्ता आवास बनाकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा आज तक मृतक के विरासत का नामान्तकरण तस्दीक नही किया गया है। PW2 शंकर पुत्र छोटू जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया तहसील जालसू जयपुर ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित किया है कि सजरा खानदान में डूंगा का पुत्र झूथा अविवाहित फौत हो गया जिसका उक्त आराजी में 1/6 हिस्सा था तथा अविवाहित फौत होने के कारण उक्त आराजीयात झूंथा के हिस्से 1/5 हिस्सा व प्रत्येक प्रतिवादीगण का 1/5–1/5 हिस्सा निहित है। उक्त आराजीयात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक के सगे भाई के नाम खातेदारी आ चुकी है। प्रस्तुत गवाहो एवं साक्ष्यो से यह साबित है कि डूंगा का पुत्र झूथा अविवाहित ही फौत हो गया था। सजरा खानदान से स्पष्ट है कि डूंगा के 6 पुत्र है किशना, झूंथा (अविवाहित फौत), छोटू (फोत), मांगू, सुवा, नारायण। जब झूंथा अविवाहित फौत हो चुका है तो हिन्दु उत्ताधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार हिंदू पुरूष की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके निकटतम कानूनी उत्तराधिकारी को दी जा सकती है। प्रस्तुत अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी दलीलों और साक्ष्यों एवं गवाहो के माध्यम से वादी ने वाद को साबित किया है। अतः तहसीलदार जालसू जिला जयपुर को आदेशित कि[illegible] है कि वे मृतक झूंथा (अविवाहित फौत) के हिस्से को डूंगा के विधिक वारिसान की जांच [illegible] हुये झूथा पुत्र डूंगा के विधिक वारिसान् यथा माता, भाई एवं बहिनों [illegible] जमाबंदी मे दर्ज करे। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। इस बाबत तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो।

पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –224/2011 वाद प्रस्तुति दिनांक –12.12.2011

1. सांवरमल पुत्र छोटू (फौत)
1/1 राजू देवी पत्नी सांवरमल
1/2 कमलेश पुत्र सांवरमल
1/3 महेन्द्र पुत्र सांवरमल
1/4 सुनिल पुत्र सांवरमल
2. शंकर पुत्र छोटू
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण
..............**वादीगण / प्रार्थीगण**

बनाम

1. किशना पुत्र डूंगा (फौत)
1/1. भूराराम पुत्र किशना
1/2. हनुमान सहाय पुत्र किशना
1/3. गोपाल पुत्र किशना
1/4 छीगन पुत्र किशना
1/5 बाबू पुत्र किशना
1/6 नन्छू पुत्र किशना
1/7 नानूडी बेवा किशना
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण
1/8 श्रीमती लाडा देवी पुत्री किशना पत्नी बिरदा जाति जाट निवासी ग्राम कापडियावास तहसील जिला जयपुर।
1/9 श्रीमती सरजू देवी पुत्री किशना जाति जाट निवासी ग्राम कापडियावास तहसील जिला जयपुर।
1/10 रूकमा देवी पत्नी किशना पत्नी बिरदा जाति जाट निवासी ग्राम चंपापुरा, कालियों की ढाणी तहसील व जिला जयपुर।
2. मांगू पुत्र डूगा (फौत)
2/1. शैभाराम पुत्र मांगू
2/2 जयराम पुत्र मांगू
निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
2/3 झमरी पुत्री मांगू पत्नी [illegible] निवासी किशोरपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर पुत्र रामेश्वर
2/4. राजू पुत्री मांगू पत्नी हरदेव निवासी किशोरपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
2/5 नन्छी पुत्री मांगू पत्नी लक्ष्मण निवासी किशोरपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
2/6 कोयली पुत्री मांगू पत्नी [illegible] तहसील व जिला जयपुर।
2/7 आंची देवी पुत्री मांगू पत्नी रामकरण निवासी ग्राम कापडियावास तहसील व जिला जयपुर।
2/8 भोली देवी पत्नी मांगू निवासी बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. सुवा पुत्र डूंगा
4. नारायण पुत्र डूगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 224/2011
बउनवानी – सांवरमल बनाम किशनाराम वगै0
निर्णय दिनांक :– 23.06.2025

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण

5. उपपंजीयक कार्यालय तहसील आमेर जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

............प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तहसीलदार जालसू जिला जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वे मृतक झूंथा (अविवाहित फौत) के हिस्से को डूंगा के विधिक वारिसान की जांच करते हुये झूथा पुत्र डूंगा के यथा माता, भाई एवं बहिनों में बराबर–बराबर हिस्सा जमाबंदी मे दर्ज करे। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 23.06.2025 को जारी किया ।

दस्तखत–––

ओहदा–––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:10 IST
Reason: SelfAttested